

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि २७ मार्च, १९७४ ई०

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर :—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन
नियमावली के नियम ४ II के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नों के उत्तरों का
सभा मेज-पर रखा जाना :

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या :	८, ९, एवं १०	...	...	१-११
तारांकित प्रश्न संख्या :	७२, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१,			११-३४
	८५, ८६, ९०, ९५, ९६, १०२, १०३, ३९०, ३९१, एवं ३९६ ।			
परिशिष्ट १ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	...	...	...	३५-१२२
परिशिष्ट २	...	...	...	१२३-
दैनिक निबन्ध :	...	...	...	

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है !

मत्स्य उत्पादकों को मत्स्य उत्पादन में अभिरुचि लेने और वैज्ञानिक तरीकों से मत्स्य पालन करने हेतु उच्च उत्पादन का प्रशिक्षण की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

व्यापार करने के सम्बन्ध में।

ज-१। श्री सुरेश्वर झा सुमन—क्या मंत्री, उत्पाद विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) अविभाजित दरभंगा जिला (वर्तमान दरभंगा मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला) में १९७०-७१, १९७१-७२ एवं १९७२-७३ में शराब, गांजा, भांग, आदि मादक द्रव्यों के लाइसेंस होल्डरों की क्या संख्या थी ;

(२) सरकार को उनसे उक्त वर्षों में क्या आय हुई ;

(३) उक्त ३ वर्षों की अवधि में अवैध रूप से मादक द्रव्यों के व्यापार करने वाले में कितने व्यक्तियों पर विभागीय मामले चले और उनमें कितने दंडित हुए एवं कितने मामले अभी विचाराधीन है ?

प्रभारी मन्त्री, उत्पाद विभाग—(१) अविभाजित दरभंगा जिला (वर्तमान दरभंगा मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला) में १९७०-७१, १९७१-७२ एवं १९७२-७३ में शराब, गांजा, भांग आदि मादक द्रव्यों के लाइसेंस होल्डरों की संख्या इस प्रकार है :—

(२)	१९७०-७१।	१९७१-७२।	१९७२-७३।
विदेशी शराब	१७	२०	२२
देशी शराब	६१	६१	६१
गांजा	६३	६३	६३
भांग	४	४	४
ताड़ी	१३१७	१३२०	१३२१
विदेशी शराब	११९४५	१६१४२	१७६६६
देशी शराब	१६६१२६५	१५६१६८७	१८६६५१६
गांजा	८०६१६	८५२२४	९७३०५
भांग	६८४	१३६६	३१६६
ताड़ी	१६७२७७८	१८०६४९६	१७४६९३२
अन्य मदों की सम्मिलित			
कुल आय	४३०९४०८	३९५८५८६	३९६९५५२

(३) अवैध रूप से मादक द्रव्यों के व्यापार करने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन विभागीय मामले चलाये गये ।	२१२	२०३	१६८
दंडित व्यक्तियों की संख्या	९२	९९	५१
विचाराधीन मामलों (व्यक्तियों) की संख्या	१२०	१०४	११७

देशी शराब की दुकानों के सम्बन्ध में ।

स-७ । श्री लाल बिहारी प्रसाद—क्या मंत्री, उत्पाद विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भोजपुर जिले के अन्तर्गत देशी शराब की कितनी दुकानें चल रही हैं तथा किन-किन व्यक्तियों के नाम से निलामी दिया गया है तथा उनका पूरा पता क्या है ?

प्रभारी मंत्री, उत्पाद विभाग—भोजपुर जिलान्तर्गत ६० देशी शराब की दुकानें हैं जिनकी बम्बोबस्ती स्टाईडींग स्केल के अन्तर्गत की जाती है । इनकी बम्बोबस्ती निलामी पद्धति द्वारा नहीं होती है । दुकान का नाम, लाइसेंसियों का नाम तथा पूर्ण पता सलग्न सूची में अंकित है ।

०२	०३	०४	०५
०६	०७	०८	०९
१०	११	१२	१३
१४	१५	१६	१७
१८	१९	२०	२१
२२	२३	२४	२५
२६	२७	२८	२९
३०	३१	३२	३३
३४	३५	३६	३७
३८	३९	४०	४१
४२	४३	४४	४५
४६	४७	४८	४९
५०	५१	५२	५३
५४	५५	५६	५७
५८	५९	६०	६१
६२	६३	६४	६५
६६	६७	६८	६९
७०	७१	७२	७३
७४	७५	७६	७७
७८	७९	८०	८१
८२	८३	८४	८५
८६	८७	८८	८९
९०	९१	९२	९३
९४	९५	९६	९७
९८	९९	१००	१०१